



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 376]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 27, 1977/भाद्र 5, 1899

No. 376]

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 27, 1977/BHADRA 5, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES NOTIFICATION

INCOME-TAX

New Delhi, the 27th August 1977

S.O. 640(E).—In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Fourth Amendment) Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the 1st day of September, 1977.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the principal rules), rule 6AA shall be re-numbered as rule 6AB and before rule 6AB as so re-numbered, the following rule shall be inserted, namely:—

‘6AA. Prescribed authority for rural development allowance.—For the purposes of the proviso to sub-section (1) of section 35CC, “prescribed authority” shall be the Committee consisting of the following, namely:—

Chairman

1. Secretary, Department of Agriculture, Ministry of Agriculture and Irrigation, Government of India.

Members

2. Secretary, Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India.

3. Secretary, Department of Industrial Development, Ministry of Industry, Government of India.

4. Chairman, Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue, Ministry of Finance, Government of India.

3. In Appendix II to the principal rules, in Form No. 3B, for the brackets, words, figure and letters "(see rule 6AA)", the brackets, words, figure and letters "(See rule 6AB)" shall be substituted.

[No. 1943/F. No. 142(15)/77-TPL]

S. N. SHENDE, Secy.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

आय-कर

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1977

का० आ० 640 (अ).—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर नियम, 1962 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम आय-कर (चतुर्थ संशोधन) नियम, 1977 है।

(2) ये 1 सितम्बर, 1977 को लागू हो जाएंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 में, (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) नियम 6कक को नियम 6कख के रूप में पुनःसंख्याकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्याकित नियम 6कख से पूर्व निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"6कक. ग्राम सुधार भत्ते के लिए विहित प्राधिकार.—धारा 35गग की उपधारा (1) के परन्तुक के प्रयोजनों के लिए "विहित प्राधिकारी" एक समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

अध्यक्ष

1. सचिव, कृषि विभाग, कृषि और सिंचाई मंत्रालय, भारत सरकार।

सदस्य

2. सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

3. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

4. अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।"

3. मूल नियमों के परिशिष्ट 2 में, प्ररूप सं० 3ख में, "(नियम 6कक देखिए)" कोष्ठकों, शब्दों, अंक और अक्षरों के स्थान पर, "(नियम 6कख देखिए)" कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

[सं० 1943/फा० सं० 142 (15)/77-टीपीएल]

एस० एन० शेंडे, सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977